संविदाओं की आपूर्ति के लिए विशिष्ट पॉलिसियाँ

>> आपूर्ति संविदाओं के लिए विशिष्ट पॉलिसियों की आवश्यकता क्यों है ?
>> संविदा हेतु विशिष्ट पॉलिसियों के लिए आवेदन करते समय क्या औपचारिकताएँ पूरी की जानी चाहिए ?
>> विशिष्ट पॉलिसियों के विभिन्न प्रकार क्या हैं व किन जोखिमों पर वे रक्षा प्रदान करते है ?
>> भुगतान की शर्तों के संबंध में सामान्य शर्तें कौनसी हैं ?
>> लागू प्रीमियम दरें क्या है ?
>> प्रीमियम की अदायगी कब की जानी है ?

संविदाओं की आपूर्ति के लिए विशिष्ट पॉलिसियाँ

>> आपूर्ति संविदाओं के लिए विशिष्ट पॉलिसियों की आवश्यकता क्यों है ?

मानक पॉलिसी संपूर्ण पण्यावर्त पॉलिसी है जो निर्यातक के नियमित पोतलदानों के लिए निरंतर बीमा सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है जिसकी ऋण अवधि १८० दिन से अधिक नहीं होती । पूँजीगत माल के निर्यात या तैयार परियोजनाओं या विदेशों में निर्माण कार्यों या सेवाएँ प्रदान करने की संविदाएँ बार-बार नहीं होती तथा इनमें मध्यावधि दीर्घावधि ऋण शामिल होते हैं । अत: निगम ऐसे लेन-देनों के संबंध में विशिष्ट पॉलिसियों के अंतर्गत अलग-अलग मामले के लिए बीमा करता है ।

>> संविदा हेतु विशिष्ट पॉलिसियों के लिए आवेदन करते समय क्या औपचारिकताएँ पूरी की जानी चाहिए ?

आस्थगित भुगतान की शर्तों पर किए जाने वाले निर्यात की सभी संविदाओं और विदेशों में तैयार हालत में प्रस्तुत की जानेवाली परियोजनाओं और निर्माण कार्यों की सभी संविदाओं के लिए विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों (कृपया भा.रि.बै.के परियोजना निर्यात मैनुअल देखें । आगे और विवरण के लिए WWW.RBI.ORG पर जाएँ) के अधीन प्राधिकृत व्यापारियों, भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) अथवा कार्यकारी दल को दिए गए अधिकारों के अनुसार उनकी पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है । इस प्रयोजन के लिए आवेदन-पत्र प्राधिकृत व्यापारी (वित्तपोषक बैंक) को प्रस्तुत किए जाने चाहिए जो उसे प्रत्यायोजित अधिकार से बाहर वाले आवेदन एक्ज़िम बैंक को भेजेगा । प्राधिकृत व्यापारी, एक्ज़िम बैंक अथवा कार्यकारी समूह, जैसा भी मामला हो, द्वारा संविदा को सही बताने के बाद ही ईसीजीसी को विशिष्ट पॉलिसी का प्रस्ताव भेजा जाए ।

>> विशिष्ट पॉलिसियों के विभिन्न प्रकार क्या हैं व किन जोखिमों पर वे रक्षा प्रदान करते है ?

विभिन्न पॉलिसियाँ निम्नानुसार है :

i) विशिष्ट पोतलदान (व्यापक जोखिम) पॉलिसी

ii) विशिष्ट पोतलदान (राजनीतिक जोखिम) पॉलिसी

iii) विशिष्ट संविदा (व्यापक जोखिम) पॉलिसी, तथा

iv) विशिष्ट संविदा (राजनीतिक जोखिम) पॉलिसी

विशिष्ट पोतलदान (व्यापक जोखिम) पॉलिसी विचाराधीन संविदा (जोखिमों के विवरण के लिए यहाँ क्लिक करें) के अंतर्गत किए गए पोतलदानों के संबंध में मानक पॉलिसी के अंतर्गत संरक्षित सभी जोखिमों को रक्षा प्रदान करती है । अत: यदि भुगतान वाणिज्यिक तथा राजनीतिक दोनों जोखिमों के लिए खुले हों तो निर्यातक के लिए यह पॉलिसी लेना उचित है । जहाँ पर वाणिज्यिक जोखिम नहीं है जैसे, जहाँ पर भुगतान की गारंटी बैंक द्वारा अथवा समुद्रपारीय देशों की सरकार द्वारा दी गई है, निर्यातक पोतलदान (राजनीतिक जोखिम) पॉलिसी ले सकता है, जिसके लिए प्रीमियम दर, व्यापक जोखिम पॉलिसी की दर से कम होगी ।

विशिष्ट संविदा पॉलिसी (जो व्यापक जोखिम अथवा राजनीतिक जोखिम दोनों के लिए हो सकती है) पोतलदान पॉलिसी से भिन्न इसलिए है कि संविदा पॉलिसी निर्यातक को न केवल पोतलदानोत्तर रक्षा प्रदान करती है जो कि पोतलदान पॉलिसी भी प्रदान करती है बल्कि कुछ हद तक संविदा की तारीख से पोतलदान पूर्व रक्षा प्रदान करती है । यदि किन्हीं जोखिमों की सुरक्षा के कारण अथवा भारत से माल के निर्यात पर किसी प्रतिबंध के कारण पोतलदान नहीं किए जा सके, तो पोतलदान न किए गए माल की हानि को भी संविदा पॉलिसी के अंतर्गत रक्षा प्रदान की जाएगी । संविदा पॉलिसी के लिए प्रीमियम दर पोतलदान पॉलिसी की अपेक्षा अधिक होगी ।

>> भुगतान की शर्तों के संबंध में सामान्य शर्तें कौनसी हैं ?

विशिष्ट पॉलिसीयों के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त करने के लिए पात्रता, निर्यात संविदाओं के लिए भुगतान की शर्तें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रथा के अनुसार होंगी । संविदा मूल्य के कम से कम १५% पोतलदान के पूर्व देय होगी जिसमें कम से कम ५% की अग्रिम अदायगी भी शामिल हो । शेष राशि समान अर्धवार्षिक किस्तों में देय होगी

जो पोतलदान की तारीख के छ : महीने बाद से प्रारंभ होगी । जहाँ पर संविदा, आपूर्ति तथा संपूर्ण सयंत्र निर्माण के लिए प्रदान की जाती है, प्रथम किस्त, सयंत्र के प्रारंभ होने की तारीख छ: महीने के उपरांत देय होगी । सामान्यतया ऋण अवधि ५ वर्षों से अधिक नहीं होगी । लंबी ऋण अवधि केवल अपवादात्मक मामले, बड़ी परियोजनाओं के लिए ही अनुमोदित की जा सकती है, यदि परिस्थितियाँ न्यायसंगत हों । सरकारी गारंटी अथवा बैंक गारंटी के रूप में पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त की जानी चाहिए ।

>> लागू प्रीमियम दरें क्या है ?

प्रीमियम दरें जिस देश को निर्यात किया जाना है उस पर तथा चुकौती की अवधि पर आधारित होंगी । किसी संविदा विशेष हेतु देय प्रीमियम कि लिए यहाँ क्लिक करें)
रक्षा की उपलब्धता को निश्चित करने के लिए निर्यातक को सिद्धांतत: निगम का अनुमोदन प्राप्त करने की सलाह दी जाती है तथा संविदा समाप्त होने के बहुत पहले ही प्रीमियम दर प्राप्त कर लेनी चाहिए । यदि उसके बाद निबंधनों तथा शर्तों में कुछ परिवर्तन किया जाता है तो निगम को इसकी सूचना दी जानी चाहिए ताकि लागू प्रीमियम में यदि कोई परिवर्तन है उन्हें अभिनिश्चित किया जा सके ।

>> प्रीमियम की अदायगी कब की जानी है ?

सामान्यतया पूरा प्रीमियम अग्रिम रूप में देय होता है । यदि संविदा मूल्य की राशि बहुत बड़ी है तो प्रीमियम की अदायगी, अंश के रूप में करने के लिए किस्त सुविधा प्रदान की जा सकती है तथा यदि पोतलदान अपेक्षाकृत लंबी अवधि के हैं तब भी पूरे प्रीमियम की अदायगी अंतिम पोतलदान के समय कर दी जानी चाहिए । किस्त सुविधा के लिए ब्याज वसूल किया जाएगा ।

योजना पर और किसी स्पष्टीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें ।